भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/2006-पीएलएन-।।। दिनांक : 10 मई, 2006

सेवा में

मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

विषय : केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए कोटे के बारे में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में आपके तारीख 28 अप्रैल, 2006 के पत्र सं. 1/41/1/2005 के तहत पत्राचार का हवाला देने का निदेश हुआ है।

आयोग ने श्री अर्जुन सिंह, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा तारीख 9 अप्रैल, 15 अप्रैल एवं 18 अप्रैल, 2006 के पत्रों के तहत प्रस्तुत उत्तरों एवं सूचना पर विचार किया है। आयोग ने मंत्रिमंडल सचिवालय के उनके तारीख 10 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल एवं 28 अप्रैल, 2006 के पत्रों के तहत प्रस्तुत उत्तरों पर भी विचार किया है। आयोग ने श्री अर्जुन सिंह को तारीख 4 मई, 2006 को व्यक्तिगत रूप में भी सुना, जैसाकि उनके द्वारा आयोग में 12 अप्रैल, 2006 को प्राप्त उनके दिनांक रहित पत्र में इच्छा व्यक्त की गई थी। तथापि, श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्वोक्त उत्तरों में पहले ही किए गए कथन में कुछ नहीं जोड़ा है।

आयोग ने 5 अप्रैल, 2006 के अपराह्न को इलेक्ट्रानिक मीडिया में 5 अप्रैल, 2006 को सुबह में प्रिंट मीडिया में तथा उसके बाद दोनों मीडिया में नियमित रूप से बार-बार आई विभिन्न रिपोर्टों से पाया है कि श्री अर्जुन सिंह, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 5 अप्रैल, 2006 को इस बारे में उद्घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों यथा, आई आई एम, आई आई टी एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से 27 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में इन रिपोर्टों के आधार पर आयोग की राय थी कि श्री अर्जुन सिंह द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता, जो असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पांडिचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों, जो वर्तमान में प्रगति पर हैं, के संदर्भ में 01 मार्च, 2006 से लागू था, के उल्लंघन में थी। इसलिए आयोग ने उपर्युक्त रिपोर्टों पर 8 अप्रैल एवं 12 अप्रैल, 2006 के समसंख्यक संदर्भों के तहत श्री अर्जुन सिंह और मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करना उपयुक्त समझा। तारीख 9 अप्रैल, 15 अप्रैल एवं 18 अप्रैल, 2006 के अपने उत्तर में, श्री अर्जुन सिंह ने समाज के किसी वर्ग के पक्ष में आरक्षणों के किसी प्रतिशत की बाबत कोई उद्घोषणा किए जाने से इंकार किया था। उन्होंने कहा कि संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 (20 जनवरी, 2006 को अधिसूचित) ने संसद को शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए विधियां बनाने हेतु अधिकृत किया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सरकार ने संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा समुचित विधानों के अधिनियमन द्वारा न केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों बल्कि राज्य सरकार की सहायता प्राप्त संस्थानों में भी संविधान के संशोधित उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना शुरू किया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसी सीटों के लिए कोटे के किसी प्रतिशत को नियत करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना अभी बाकी है और कि जबतक केन्द्रीय मंत्रिमंडल एवं संसद द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक मुद्दे को रियायत नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुद्दे पर पांच राज्यों में साधारण निर्वाचनों के मौजूदा चरण के समाप्त होने के बाद विचार किया जाना है। उनके अनुसार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टे कि उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लगभग 27 प्रतिशत कोटे का उल्लेख किया है, गलत है

और उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस प्रकार, श्री अर्जुन सिंह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने से इंकार किया और आगे यह भी कहा कि चूंकि नामांकन के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए संविधान को संशोधित करने का निर्णय संसद में सभी राजनैतिक दलों का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है, इसलिए, इससे सत्तासीन दल को कोई असम्यक लाभ नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार ने अपनी **10** अप्रैल, 18 अप्रैल एवं **28** अप्रैल, 2006 की टिप्पणियों में श्री अर्जुन सिंह के बयान का अनुसमर्थन किया है और उसके तर्क का समर्थन किया है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार ने यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों के प्रतिशत के बारे में अभी निर्णय लेना है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मंत्रिमंडल सचिवालय को प्राप्त मंत्रिमंडल नोट को **3** अप्रैल, 2006 को उस मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ इस सलाह के साथ वापस कर दिया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निर्वाचन प्रक्रिया पांच राज्यों में पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और कि इसलिए, प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए या इसे निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक लंबित रखा जाए। रिकॉर्ड के लिए यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आयोग से सलाह मांगते हुए उसे तारीख **12** अप्रैल, 2006 को एक पृथक संदर्भ भेजा था कि क्या विधेयक को आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जा सकता है और आयोग ने **20** अप्रैल, 2006 को उन्हें सलाह दी है कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में वांछनीय होगा, यदि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने को पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में इस समय चल रहे निर्वाचनों के पूरा होने तक आस्थगित रखा जाए।

तीन तथ्य पूरे घटनाक्रम में प्रमाणित हुए, प्रथम, यह कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव को **3** अप्रैल, 2006 को इस आधार पर वापस कर दिया था कि "इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पांच राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और कि इसलिए प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए या निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक इसे लंबित रखा जाए।" द्वितीय, श्री अर्जुन सिंह ने **5** अप्रैल, 2006 को कहा था बल्कि आश्वस्त किया था कि आरक्षण आगामी शैक्षणिक सत्र अर्थात् **2006-2007** से प्रभावी होगा और केन्द्रीय संस्थानों को कवर किया जाएगा। तृतीय, इस मुद्दे पर **5** अप्रैल एवं **6** अप्रैल, 2006 को कई इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टें आईं जिनमें न केवल यह उद्धृत किया गया था कि सरकार विधि पर विचार कर रही है बल्कि इसके दायरे में आने वाले संस्थानों में आरक्षणों के प्रतिशत, उसका समय भी दिया जा रहा था और इन्हें श्री अर्जुन सिंह द्वारा कहा गया बताया जा रहा था।

यह विश्वास का मामला था जो उल्लंघन के स्तर तक चला यदि कोई पी टी आई एवं द हिंदू से भिन्न मीडिया में, जो कुछ रिपोर्टिंग की गईं उसका श्रेय उसको नहीं दिया गया, जो उन्हें कहा गया बल्कि महज उनकी कल्पना के अंश को दिया गया। हो सकता है, श्री अर्जुन सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों के किसी प्रतिशत का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया हो किंतु इसे नहीं नकारा जा सकता है कि **5** अप्रैल, 2006 को उनके बयान बल्कि आश्वासन पर, कि आरक्षण आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा, से पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, जहां उस समय निर्वाचन होने वाले थे, के लोगों सहित पूरे देश के लिए अत्यधिक संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस एवं आंदोलन शुरू हो गया।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सत्तासीन दल एवं व्यक्तियों की स्पष्ट कारणों से अत्यधिक जिम्मेदारी है और उनसे अपेक्षा है कि वे न केवल इसका अनुपालन करें बल्कि ऐसा करते दिखाई दें। मौजूदा मामले में, आयोग इस दुखद निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे ऐसा करते दिखाई नहीं दे सकते हैं। इस बात से अवगत रहें, जैसा आयोग है, कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, यद्यपि उत्तम है, तथापि, निर्णायक सबूत के लिए पूर्णरूपेण प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है, आयोग ने श्री अर्जुन सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रतिकूल निष्कर्ष की घोषणा करने से अपने आपको दूर रखा। तथापि, आयोग ने यह नोट किया कि केन्द्रीय सरकार और श्री अर्जुन सिंह को नोटिस दिए जाने से मंत्रियों, केन्द्र एवं राज्य दोनों के तथा सरकारों

द्वारा बयानों पर लगाम लगाने का प्रयोजन पूरा हुआ है, जिससे अन्यथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन पर आगे और दूषक प्रभाव पड़ता और निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक दलों के बीच समान अवसर की व्यवस्था बाधित होती।

भवदीय,

(ए.के. मजूमदार)

सचिव